प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि संलग्न मानचित्र में दर्शायी गई बहुभुजी आकृति बिन्दु सं **A, B, C, D, E, F** सिविल सोयम वन भूमि है जो पहुंच मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 58 से जोड़ता है रेल विकास निगम लि0 को पूर्व में **FP/UK/RAIL/16947/2015** से स्वीकृत है, जिसका सत्यापन प्रपोजल में लगे लैंड सैडयूल 15.1 से की जा सकती है। इसके अलावा संलग्न मानचित्र में दर्शायी गई बहुभुजी आकृति **G, H, I, J, K, L, M** भू भाग आरक्षित वन भूमि के नौडू–13 का भाग है वह भी पूर्व में रेल विकास निगम लि0 को **FP/UK/RAIL/16947/2015** के द्वारा प्रत्यावर्तित है जिसका सत्यापन प्रपोजल में लगे आरक्षित वन भूमि के प्रारूप– 15 के द्वारा किया जा सकता है। उपरोक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की स्वीकृती भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/07/31/2016/एफ0सी0/1940 दिनांक 20.02.2018 के द्वारा प्राप्त है।

बिन्दु सं0 **G, H, I, J, K, L, M** से आगे टनल टी–2 के पी–1 तक पहुॅच मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 1.1206 है0 हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जहॉ तक **Kml** फाइल में दर्शित पूर्व में बनाये गये कच्चे मार्ग वाले भाग का प्रश्न है के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है, कि वह भाग वन मार्ग (रास्ता) है जो स्थानीय ग्राम वासियों द्वारा आवागमन हेतु पूर्व से प्रयोग किया जा रहा है। जो वर्तमान में टनल टी–2 के पी–1 तक पहुंच मार्ग हेतु प्रस्तावित है।

भवदीय,

20/07/2022
(ओ0 पी0 मालगुड़ी)
वरि0 प्रबन्धक/परियोजना
रेल विकास निगम लि0
ऋषिकेश

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी रेंज
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

उप राजिक
शिवपुरी अनुभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

MAP OF RESERVE FOREST AREA IN NAUDU- 13 SHIVPURI RANGE NARENDRA NAGAR FOREST DIVISION PROPOSED TO BE TRANSFERED IN FAVOUR OF RAIL VIKAS NIGAM LTD. FOR CONSTRUCTING APPROACH ROAD FROM NH-58 TO T2P1

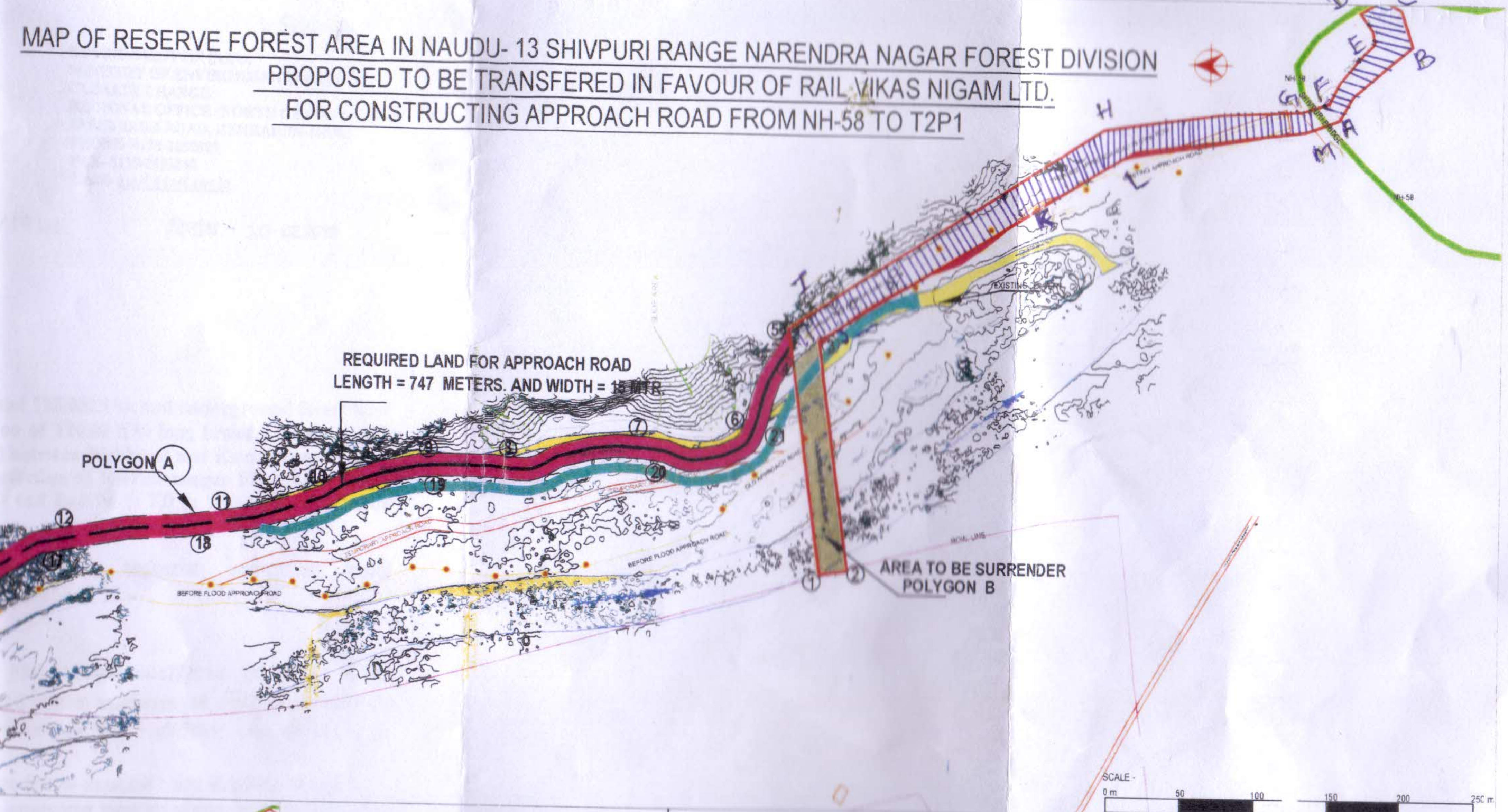

DETAILS OF POLYGONS:-	REMARKS
POLYGON A (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,) = 11206 Sqm.	
TOTAL AREA OF POLYGON A= 11206 Sqm.	TO BE TRANSFERED
POLYGON B(1,2,3,4) = 3005.81 Sqm.	
TOTAL AREA OF POLYGON B= 3006 Sqm.	TO BE SURRENDER
NET AREA (A-B) = 11206 -3006 = 8200 Sqm.	ACTUALLY TO BE TRANSFERED

CENTER LINE COORDINATES

(A) AREA PROPOSED TO BE TRANSFERED = 11206 Sqm.

(B) AREA TO BE SURRENDERED = 3006 Sqm.

AREA ACTUALLY TO BE TRANSFERED (A−B) = 8200 Sqm.

SN-6

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./07/31/2016/एफ.सी./1960 दिनांक 20.02.2018

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : **Diversion of 500.5996 ha (Surface forest land 173.0313 ha and underground forest land 327.5683 ha) of forest land for construction of 126.00 KM long broad gauge new rail link from Km 6.00 to Km 126.00 (Part-II) between Rishikesh and Karnprayag by Rail Vikas Nigan Ltd. (RVNL) within the jurisdiction of Narendranagar FD, Garhwal FD, Rudraprayag FD, Kedarnath Wildlife FD and Badrinath FD in Uttarakhand (Online Proposal No. FP/UK/RAIL/16947/2015)**

सन्दर्भः **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 2079/FP/UK/RAIL/16947/2015 दिनांक 18.12.2017**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UK/RAIL/16947/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 244/x-4-15/1 (32)/2016 दिनांक 30.03.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–29.08.2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि कि केन्द्र सरकार **Diversion of 500.5996 ha (Surface forest land 173.0313 ha and underground forest land 327.5683 ha) of forest land for construction of 126.00 KM long broad gauge new rail link from Km 6.00 to Km 126.00 (Part-II) between Rishikesh and Karnprayag by Rail Vikas Nigan Ltd. (RVNL) within the jurisdiction of Narendranagar FD, Garhwal FD, Rudraprayag FD, Kedarnath Wildlife FD and Badrinath FD in Uttarakhand** हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 500.5996 है0 वन भूमि में से 173.0313 है0 प्रस्तावित भू–सतह वन क्षेत्र के सापेक्ष दुगने अवनत आरक्षित वन क्षेत्र 346.06 है0 वन भूमि (शिवपुरी, सकलाना एवं माणिकनाथ रेंज नरेन्द्रनगर वन प्रभाग में 234.00 है0, ईष्ट अमेली रेंज गढ़वाल वन प्रभाग में 39.00 है0, दक्षिणी जखोली, रूद्रप्रयाग एवं खाकरा रेंज, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग में 45.00 है0 एवं नागनाथ (पोखरी) रेंज केदारनाथ वन प्रभाग में 28.00 है0) वन भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण कियां जाना आवश्यक होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

4. निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां–2 सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनं विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा।
5. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 17639 से अधिक न हो।
9. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
10. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा।
12. ऐसी कोई अन्य शर्त जो भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं वन्य जीवों आदि के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

इस स्वीकृति में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा सन्तोषजनक अनुपालन नही होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीया,
/
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

कमलप्रीत
11/10/18
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

Scanned with CamScanner

ANNEX-6.1

(1/9)

प्रारूप–15

परियोजना का नाम :– उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड़ गेज रेल लाईन निर्माण ।

Revised लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि) नरेंद्रनगर वन प्रभाग

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन रेंज का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (कि0मी0 में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	शिवपुरी	चन्दनावा – 2	1.150	150 - 300	28.889
			चन्दनावा – 2	0.081	32	0.2596
			खैरूपानी – 3	0.770	32	2.4637
			मुनी की रेती – 1	0.793	32	2.5365
			मुनी की रेती – 4	0.845	32	2.7035
			मुनी की रेती – 6	0.461	32	1.475
			नीर गढ़ – 1	0.448	32	1.4341
			नीर गढ़ – 2	0.736	32	2.3554
			नीर गढ़ – 3	1.299	32	4.1559
			नीर गढ़ – 3	0.209	32	0.6689
			नीर गढ़ – 4	0.485	32	1.5534
			ब्रहमपुरी – 1	0.282	32	0.9029
			ब्रहमपुरी – 2	1.082	32	3.4627
			ब्रहमपुरी – 3	1.008	32	3.2252
			ब्रहमपुरी – 5	0.982	32	3.1434
			हैंवल – 1	0.108	32	0.3447
			हैंवल – 1	0.100	20 – 100	0.3678
			हैंवल – 1	0.500	5 – 15	0.1468
			हैंवल – 1	0.600	5 – 250	6.4604
			हैंवल – 1	0.700	5 – 15	0.7699
			नौडु – 13	0.200	5 – 20	0.3757
			नौडु – 13	0.200	200 – 300	3.0997
			नौडु – 13	0.297	32	0.9502
			नौडु – 8	0.200	5 – 15	0.1971
			नौडु – 8	0.750	20 – 200	21.7025
			नौडु – 12	1.377	32	4.4052
			शिवपुरी – 1	0.719	32	2.3014
			शिवपुरी – 2	0.671	32	2.1469
			शिवपुरी – 3	0.812	32	2.5995
			शिवपुरी – 3	0.500	5 – 15	0.3827
			शिवपुरी – 3	0.100	5 – 30	0.3782
			शिवपुरी – 4	0.150	5 – 31	0.2814
			शिवपुरी – 4	1.623	32	5.1935

उप महाप्रबन्धक (पी–1)
रेल विकास निगम लि०

			शिवपुरी – 5	0.233	32	0.7469
			तिमली – 2	0.422	32	1.349
			तिमली – 2	0.12	50-175	1.685
			तिमली – 1	0.20	10-25	0.687
			घीगुड़ – 11	0.70	50-250	12.469
			घीगुड़ – 11	0.15	10-25	0.704
			सिंगटाली – 1	0.429	32	1.373
			सिंगटाली – 3	0.671	32	2.147
			सिंगटाली – 3	0.422	32	1.3514
			सिंगटाली – 4	0.653	32	2.0885
			सिंगटाली – 5	1.045	32	3.3444
			सिंगटाली – 6	1.625	32	5.2007
			सिंगटाली – 5	0.400	15-75	2.8412
			सिंगटाली – 6	0.250	20-50	1.4519
			सिंगटाली – 8	0.310 ~~0.250~~	~~10 – 40~~ 70 – 90	~~5.6636~~ 2.4354
			सिंगटाली – 9	0.090 ~~0.300~~	25 – 50	~~2.8354~~ 0.3820
			सिंगटाली – 9	0.900	32	3.064
			सिंगटाली – 8	0 ~~0.250~~	0 ~~5 – 50~~	~~2.7101~~ 0.0000
			सिंगटाली – 8	0.750	32	2.186
			सिंगटाली – 10	0.809	32	2.5873
			सिंगटाली – 8	0.300	5 – 50	3.3623
			सिंगटाली – 9	0.060 ~~0.350~~	30-60	~~1.4518~~ 0.2740
			सिंगटाली – 9	0.250	30-50	0.6773
			सिंगटाली – 10	1.000	10 – 30	1.8781
			सिंगटाली – 10	0.200	50-60	1.2687
		माणिकनाथ	कौडियाला – 2	0.487	32	1.5596
			कौडियाला – 3	0.545	32	1.745
			कौडियाला – 1	0.975	32	3.1215
			कौडियाला – 1	0.200	50-200	2.4568
			कौडियाला – 1	1.250	50-300	7.9688
			लछमोली – 2	1.001	32	3.202
			लछमोली – 1b	0.281	32	0.9
			लछमोली – 1b	0.459	32	1.4674
			लछमोली – 1a	0.184	32	0.5879
			डुन्डसीर – 5a	0.934	32	2.9889
			डुन्डसीर – 4b	0.347	32	1.1117
			डुन्डसीर – 4a	0.897	32	2.8714
			नैथाना – 8	0.508	32	1.6256
कुल आरक्षित वन भूमि						~~208.0627~~ 198.4932

टिप्पणी:–

1. *नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत रेल मार्गाधिकार से उपरोक्त आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।*

उप महाप्रबन्धक (पी–1)
रेल विकास निगम लि०

2. 2. सम्पूर्ण परियोजना की लम्बाई = 125.100 कि0मी0।

मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लिमिटेड
(भारत [illegible])

[illegible] प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

उप [illegible] (सिविल)
रेल विकास निगम लि०

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

[illegible] (सं०)
रेल विकास निगम लि०

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible] राजि
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर [illegible]

[illegible]
जिला [illegible]
टिहरी गढ़वाल

राजि अधिकारी
माणिकनाथ
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रारूप - 15.1

रेल परियोजना के मार्गाधिकार से प्रभावित राजस्व भूमि, वन भूमि एवं गैर वन भूमि में सम्मिलित क्षेत्रफल का विवरण।

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य में 128 कि०मी० ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण।

लैन्ड़ शेड्यूल

ग्राम का नामः– शिवपुरी, तहसील– नरेन्द्रनगर, जिला– टिहरी गढ़वाल

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लॉक	खसरा संख्या	कुल रकबा (हे0)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में) औसत	चौड़ाई (मीटर में) औसत	आवेदित क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5	6		8	9
सिविल एवं सोयम (वन)								
सिविल एवं सोयम (वन स्वरूप)	टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर (फकोट)	176	0.155	20	7	0.014
सिविल एवं सोयम (वन स्वरूप)	टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर (फकोट)	190	1.259	56	25	0.140
योग – सिविल एवं सोयम (वन)					1.414			0.154
वन पंचायत								
वन पंचायत	टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर (फकोट)	0	0.000			0.000
योग – वन पंचायत					0.000			0.000
योग वन भूमि					1.414			0.154
नाप भूमि								
नाप भूमि	टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर (फकोट)	0	0.000			0.000
योग – नाप भूमि					0.000			0.000
सिविल एवं सोयम (उत्तराखण्ड सरकार की गैर वन भूमि)								
सिविल एवं सोयम (गैर वन भूमि)	टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर (फकोट)	188	0.055			0.005
सिविल एवं सोयम (गैर वन भूमि)	टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर (फकोट)	189	0.055			0.040
योग – सिविल एवं सोयम (गैर वन भूमि)					0.110			0.045
योग – गैर वन भूमि					0.110			0.045
कुल योग					**1.524**			**0.199**

टिप्पणीः– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आने वाली उत्तराखण्ड सरकार की सिविल सोयम भूमि में निम्नलिखित भूमि सम्मिलित होगी।

1. प्रारूप– 19 में वृक्षों से आच्छादित खसरों के, प्रारूप– 15.1 में अंकित भूमि के क्षेत्रफल को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल में सम्मिलित किया गया है।

2. राजस्व अभिलेखों में सिविल सोयम भूमि के जिन खसरों का क्षेत्रफल, वन की श्रेणी में अभिलिखित है, को प्रारूप– 15.1 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रफल में सम्मिलित किया गया है। जिसका राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थलीय सत्यापन किया गया है।

3. नाप भूमि के क्षेत्रफल को गैर वन भूमि के क्षेत्रफल में सम्मिलित किया गया है।

मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि०
(भारतीय रेल की ओर से)

उपमहाप्रबंधक / पी–1
रेल विकास निगम लि०

वरिष्ठ प्रबंधक (भूमि अध्याप्ति)
रेल विकास निगम लि०

सहायक प्रबंधक
रेल विकास निगम लि०

कन्सलटेन्ट (वन)
रेल विकास निगम लि०

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वन राजि
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

उपजिलाधिकारी
नरेन्द्रनगर
टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
नरेन्द्रनगर
टिहरी गढ़वाल